...लय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला बारां (राज.)

प्रार्थना पत्र सं.	धारा अन्तर्गत	ग्राम	तहसील
	53, 188 RTA	कलमण्डा	बारां

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
प्रेमचन्द	बनाम	रामस्वरूप

वकील :- **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
15.11.22	अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 RTA विरुद्ध प्रति वादी गण के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रति वादी गण को गर्ज तलब तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 20.12-22 को पेश हो।	
20-12-22	पीठासीन अधिकारी ... परिषद द्वारा कार्य स्थगित में रहने से पूर्ववत दिनांक 16-2-23 को प्रस्तुत हो। रीडर उप खण्ड अधिकारी बारां	
16-2-23	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उप०। प्रतिवादी क्रम-1 से 8 तक की ओर से श्री धर्मेन्द्र सिंह सोलंकी एड. का वकालात मामा पेश हुआ। शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते तलबी प्रतिवादी क्रम 9 एवं जवाब दिनांक 28-3-23 को पेश हो।	
28-3-23	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। वकील वादी प्रतिवादी क्रम-9 की तलबी हेतु तलबाना पेश करें। पत्रावली वास्ते तलबी। जवाब दिनांक 4-5-23 को पेश हो।	
4-5-23	पीठासीन अधिकारी ... अन्य कार्यों में व्यस्त में रहने से पूर्ववत दिनांक 15-6-23 को प्रस्तुत हो। रीडर उप खण्ड अधिकारी बारां	

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश
12-5-25	पत्रावली आज पेश हुई। वक्त कमीशन वकील वादी प्रतिवादी क्र0-1 की तलबी हेतु Reg AD का तलबाना पेश है। पूर्व में पर्याप्त अवसर दिया जा चुका है एवं कोर्ट अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली बाद तलबी अवसर दिया जाकर दिनांक 27-6-25 को पेश हो।
27-6-25	पीठासीन अधिकारी राजस्व कार्य में व्यस्त में रहने से पत्रावली दिनांक 25-8-25 को प्रस्तुत हो। उप खण्ड अधिकारी बारां
25-8-25	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी/वादी एवं वकील प्रतिवादी/प्रतिवादी उप0 नहीं। वकील वादी/वादी एवं वकील प्रतिवादी/प्रतिवादी को तीन बार आवाज लगवाई गई। बावजूद सूचना के वकील वादी/वादी एवं वकील प्रतिवादी/प्रतिवादी न्यायालय में उप0 नहीं। अतः वादी का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील के दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी बारां